न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :-74/2023
GCMS NO:- 2023/118

दायर दिनांक-29.03.2023
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

कल्याणी पत्नी रामेश्वर जाति कुम्हार नि0 फुलेता तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 5)।

प्रार्थीगण

बनाम

भूस्वामी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः- अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः-
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री शांतिलाल मीना।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

-:निर्णयः-

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फुलेता मे खसरा नम्बर 788/1099 एवं 858/1135 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4917 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियों के प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर खातेदार आसामी है और इसी हैसियत से काबिज काश्त करते चले आ रहे है और इस भूमि पर प्रार्थीगणों के शामलाती कुआं लगा हुआ है एवं एक बारिंग भी लगा हुआ है और प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त भूमियां एक ही जगह पर स्थित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की मुस्तकील पत्थरगढी नही हो रही है। कई बार सीमांकन करवाया है परन्तु पत्थरगढी नही होने से मौके पर विवाद हो जाता है जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी व सीमाज्ञान की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी हो चुका है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम फुलेता मे खसरा नम्बर 788/1099 एवं 858/1135 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4917 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/- रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा